बीमा योजना गुजरात के बड़ोदा जिले में क्रियान्वित की जा रही है । इस समय इस योजना के अन्तर्गत कुल 926 एकड़ क्षेत्र है । चुनी हुई फसलों के लिये और मार्गदर्शी योजनायें प्रारम्भ करने के प्रश्न पर भारत सरकार और सामान्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया था । इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के कोयम्बेटूर जिले में दो मार्गदर्शी योजनाओं के सम्बन्ध में सामान्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जा रहा है । एक योजना ग्रीष्म, 1974 के लिये प्रस्तावित एम०सी०यू०-5 कपास के लिये और दूसरी आगामी खरीफ के लिये प्रस्तावित एम०सी०यू०-5 तथा सुजाता कपास के लिये अन्य राज्यों में भी ऐसी मार्गदर्शी योजनायें तैयार करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Irregularity in Issue of Foodgrains from F.C.I. Godown in Naraina (Delhi)

*205. SHRI BHOLA MANJHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding the godowns of Food Corporation of India in Naraina (Delhi);

(b) whether Government are aware that the Officer-in-charge of these godowns take extra amount on various Accounts from the Fair Price Shop owners of circle No. 8, 10, 11, 12 and 15; and

(c) if so, whether any enquiry will be made in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a). Yes, Sir.

(b) and (c). The preliminary enquiry made by the Food Corporation of India did not disclose any evidence in support of the complaints.

Request by Haryana to abolish Single State Bajra Zone

*206. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Haryana Government has urged the Centre to abolish the single State bajra Zone; and

(b) if so, the decision of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b). The present decision of the Government is to continue the existing restrictions on the inter-state movement of coarse grains. However the issue raised by the Haryana Government is being examined.

Ship-Building with Foreign Assistance

*208. SHRI M. KATHAMUTHU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether two countries have expressed their willingness to help in ship-building in India;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether Government have decided the place for ship-building yard with this overseas aid?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): (a) to (c). During the visit of Minister of Shipping and Transport to certain European countries in September, 1972, two shipbuilding firms in U.K. and three such firms in West Germany were found interested in the setting up of shipyards in India. Several other firms in Yugoslavia, Norway, France and also in U.K. and West Germany have offered services in response to the visit of a team headed by Transport Secretary which visited these countries in August-September, 1973.

A Techno-Economic Working Group has been set up to evaluate both technically and economically, various sites proposed by the State Governments for setting up ship-yards and to indicate the types and sizes which can with advantage be constructed at the sites recommended. A final decision will be taken after the report of the Techno-Economic Working Group is received.

हड्डियों से खाद बनाने के विचार से उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध

*210. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हड्डियों का निर्यात बन्द करने का है ताकि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने हेतु खाद बनाने के लिये उनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय अस्थिपंजरों और बिना कुटी हड्डियों के निर्यात पर प्रतिबंध है । इनके निर्यात की अनुमति कुछ खास मामलों में ही वाणिज्य और कृषि मंत्रालय की स्वीकृति से दी जा सकती है । केवल कुटी हुई हड्डियों और पिसने लायक हड्डियों के निर्यात की अनुमति है, न कि अस्थि-चूर्ण की । वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1973 में जारी किए गए निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरकों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है । चूंकि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अंतर्गत अस्थिचूर्ण को उर्वरक माना गया है, अत: देश से बाहर इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है ।

अस्थिचूर्ण फास्फेट-युक्त उर्वरक है जिसमें 20.22 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$ शामिल होता है । उर्वरक के रूप में अस्थि-चूर्ण अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका है । इसका कारण यह है कि अन्य फास्फेट युक्त उर्वरकों की तुलना में इसके प्रति यूनिट पोषक तत्वों की लागत अधिक होती है, इसमें मिले हुए साईट्रट विलय पी$_2$ ओ$_5$ की उपलब्धि अपेक्षाकृत मन्द होती है और किसानों की भावना इसके प्रयोग के विपरीत होती है । अस्थिचूर्ण निर्माताओं को अस्थिचूर्ण के विपणन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । चूंकि इसकी घरेलू खपत में कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए देश में उपलब्ध सारी हड्डियों को अस्थिचूर्ण के उत्पादन के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अत: कुटी हुई और पिसने लायक हड्डियों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।

Cut in Import of Wheat

*213. SHRI H. M. PATEL:
SHRI NAWAL KISHORE SHARMA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether prices of foodgrains, specially of wheat, have been considerably increased in the world market; and